

24-03-25

वडील वादीगण अनुपस्थित। न्यायालय समर्थी
समाप्ति तः वडीलमय वादी को पृथक - पृथक
समय में तीन बार आवाजे दिलवाए कि काबू
उपरिष्ठ नहीं होने के कारण वादी का वाद
अदम पेशी व अदम हाजरी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली कुलल सुमार
होकर दाखिल दफ्तर है।

साहायक जज
(B.D.O.) बलोजपुर